प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 23 जुलाई, 2026

विषयः- जिला कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी विनोद पुत्र श्री परमलाल, निवासी जनपद-औरैया की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-19613/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-25.04.2025, दिनांक 08.05.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी विनोद पुत्र श्री परमलाल (दिनांक 02.02.2025 तक 55 वर्ष), जो पुर्वा सवसुख, थाना-दिवियापुर, जनपद-औरैया का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 05.01.2015 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 14 वर्षीय लड़की को उठा ले गये और जबरदस्ती शादी करने एवं गलत काम करने की घटना कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-68 पी/2017 भा0द0वि0 की धारा-363, 366 व 7/8 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, (पॉक्सो एक्ट) औरैया के आदेश दिनांक 29.04.2024 द्वारा 05 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनाक 02.02.2025 तक अपरिहार 01 वर्ष, 16 दिन तथा सपरिहार 01 वर्ष, 01 माह, 13 दिन की सजा भोगी गयी है।

पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, औरैया ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध किये जाने से इन्कार नहीं किये जाने, मौके पर शान्ति व्यवस्था भंग हो सकती है एवं संगीन वारदात घटित होने के कारण जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति की आख्यानुसार दिनांक 02.02.2025 तक बन्दी की 55 वर्ष की आयु एवं मा० सत्र न्यायालय द्वारा प्रदत्त 05 वर्ष के कठोर कारावास के सापेक्ष दिनांक 02.02.2025 तक अपरिहार 01 वर्ष, 16 दिन तथा सपरिहार 01 वर्ष, 01 माह 13 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने, बन्दी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति (14 वर्षीय लड़की के साथ जबरदस्ती शादी एवं गलत काम करने की घटना) तथा पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, औरैया द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी विनोद (बन्दी संख्या-7767/2024) पुत्र श्री परमलाल, निवासी जनपद-औरैया की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

यह आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-991/2026/1137(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, औरैया।

2- पुलिस अधीक्षक, औरैया।

3- अधीक्षक, जिला कारागार, इटावा।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।